UPBL010041632023

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश, (ई0 सी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया।

पीठासीन अधिकारी–रामकृपाल, जे0 ओ0 कोड नं0–02759 (उच्चतर न्यायिक सेवा)

विशेष सत्र परीक्षण सं0–851/2023

उ0 प्र0 राज्य ———वादी/अभियोजक

बनाम

राजकुमार गुप्ता पुत्र स्व0 मिट्ठू गुप्ता साकिन मिरनगंज थाना–रसड़ा, जिला बलिया ।

———अभियुक्त

मु0 अ0 सं0–451/2020

धारा 135, विद्युत अधिनियम

थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला– बलिया।

अभियोजन की तरफ से– विद्वान विशेष लोक अभियोजक–श्री रजनीश कुमार राय

अभियुक्त की तरफ से– विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र नाथ सिंह

निर्णय

1– पुलिस थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–बलिया द्वारा अभियुक्त राजकुमार गुप्ता के विरूद्ध मु0 अ0 सं0–451/2020, धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित आरोप–पत्र पर उसका विचारण किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08.10.2020 समय 14.20 बजे सहायक अभियन्ता /उ0 नि0/अवर अभियन्ता श्यामअवध यादव , प्रवर्तन दल बलिया मय उप निरीक्षक आरक्षीगण एस0 डी0 ओ0 राजेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक रामनगीना यादव, हे0 का0 जय प्रकाश यादव, का0 कृष्ण कुमार यादव, का0 सुवोध यादव व का0 ईश्वर चन्द मय टीम मय अनुबन्धित वाहन चालक वास्ते विद्युत चोरी चेकिंग व रोकथाम हेतु थाना रसड़ा क्षेत्र के अन्तर्गत आप अभियुक्त राजकुमार गुप्ता के परिसर को चेक किया गया तो पाया गया कि आप अभियुक्त द्वारा एल0 टी0 लाईन से कटिया/केविल डालकर घेरलू विधा में एक किलो वाट विद्युत का उपभोग चोरी से किया जा रहा था, जिसके सम्बन्ध में थाना एण्टी पावर थेफ्ट में मुकदमा कायम किया गया।

3– मामले के विवेचक ने दौरान गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा प्रपत्रों को संकलित किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया तथा विवेचना की अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाहियों को पूर्ण कर अभियुक्त राजकुमार गुप्ता के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा मामले का संज्ञान लिया गया।

4– अभियुक्त राजकुमार गुप्ता की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम, के अन्तर्गत आरोप विरिचित किया गया। अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप से इंकार किया और विचारण की याचना की।

5– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से सिद्ध किए गए अभियोजन प्रपत्र निम्न हैः–

Digitally signed by RAMKRIPAL
Date: 2026.03.06 05:39:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

क0 संख्या	प्रपत्र	प्रदर्श	द्वारा सिद्ध किया गया
1–	लिखित तहरीर	क–1	श्री भगवान
2.	कार्यालय अधीशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, रसड़ा, बलिया	प्रदर्श क–2	श्री भगवान

6– अभियोजन प्रपत्रों व अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन द्वारा एक साक्षी को परीक्षित कराया गया है–

01	P.W.-1	श्री भगवान

7– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 द0 प्र0 सं0 अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक के बारे में कुछ नहीं कहने का कथन किया है तथा सफाई देने इन्कार किया है ।

8– विशेष लोक अभियोजक (विद्युत अधिनियम)द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 08.10.2020 समय 14.20 बजे आप अभियुक्त राजकुमार गुप्ता के परिसर को चेक किया गया तो पाया गया कि आप अभियुक्त द्वारा एल0टी0 लाईन से कटिया/केविल डालकर घेरलू विधा में एक किलो वाट विद्युत का उपभोग चोरी से किया जा रहा था, अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप साबित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

9– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर दिया गया है । अतः अभियुक्त लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

10– विद्वान लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। पत्रावली का परिशीलन किया।

11– प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु हैः–

क्या दिनांक 08.10.2020 समय 14.20 बजे आप अभियुक्त राजकुमार गुप्ता के परिसर को चेक किया गया तो पाया गया कि आप द्वारा एल0टी0 लाईन से कटिया/केविल डालकर घेरलू विधा में एक किलो वाट विद्युत का उपभोग चोरी से किया जा रहा था ?

निष्कर्ष एवं आधार

विचारणीय बिन्दु संख्या–1 पर निष्कर्ष एवं उसका आधार

12– अभियोजन ने अभियुक्त के ऊपर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए उपरोक्त वर्णित अभियोजन साक्षी पी0 डव्लू0–1 श्री भगवान को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

13– **अभियेाजन साक्षी पी0 डव्लू0–1** श्री भगवान ने साक्ष्य दिया है कि दिनांक 09.10.2020 को वादी मुकदमा श्याम अवध यादव अवर अभियन्ता द्वारा अभियुक्त राजकुमार गुप्ता पुत्र मिट्ठू गुप्ता निवासी मिरनगंज थाना रसड़ा जिला बलिया के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम में तहरीर देकर एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया था, जो मेरे समक्ष है, जिसे पहचान करता हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया । मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा समस्त बकाया राजस्व व शमन शुल्क जमा कर दिया गया है, जिसकी पुष्टि कार्यालय अधीशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड रसड़ा बलिया के पत्रांक 7446 दिनांक 09.02.2026 से की गयी है । जो पत्रावली में मेरे समक्ष है, जिसे मैं पहचान करता हूॅ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया ।

14– कार्यालय अधीशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, रसड़ा बलिया प्रर्दश क–2 के माध्यम से राजकुमार गुप्ता पुत्र स्व0 मिट्ठू गुप्ता साकिन मिरनगंज थाना–रसड़ा, जिला बलिया द्वारा शमन शुल्क रू0. 4000/–रसीद संख्या–3 4 5 1 9 0 0 2 1 2 2 1 2 6 2 6 0 0 0 3 दिनांक 02.12.2021, राजस्व निर्धारण रूपया 38060.00 रसीद संख्या 3 4 5 1 9 0 0 2 1 2 2 1 2 6 2 6 0 0 4 दिनांक 02.12.2021, 8 6 4 8 4 1 1 3 1 8 6 4 दिनांक 02.12.2023 को छुट में इनके द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ।

15– उपरोक्त समस्त विवेचना के पश्चात् न्यायालय इस मत का है कि अभियेाजन अभियुक्त राजकुमार गुप्ता के ऊपर लगाये गये उक्त आरोप अन्तर्गत धारा–135, विद्युत अधिनियम युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त उक्त आरोप से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

16– अभियुक्त राजकुमार गुप्ता पुत्र स्व0 मिट्ठू गुप्ता साकिन मिरनगंज थाना–रसड़ा, जिला बलिया को विशेष सत्र–परीक्षण संख्या–851/2023 अपराध संख्या–451/2020, सरकार बनाम राजकुमार गुप्ता, अन्तर्गत धारा–135, विद्युत अधिनियम थाना एण्टी पावर थेफ्ट, जिला बलिया के आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है।

17– अभियुक्त जमानत पर है। उसके बन्धपत्र को निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

18– धारा–437 ए दं0 प्र0 सं0 के विधिक प्राविधान के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त राजकुमार गुप्ता द्वारा मु0 20,000/–(बीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व उतनी हीं धनराशि के दो प्रतिभू अन्दर सात दिन दाखिल किया जाये।

दिनांक–06.03.2026

(रामकृपाल)
विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
बलिया।

निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–06.03.2026

(रामकृपाल)
विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट)/
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
बलिया।

टाईपकर्ता–यशवन्त सिंह,